

क्रम	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
अ	2	3
	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>(1.) बालेश्वर ठाकुर एवं (2.) सिकन्दर ठाकुर दोनों के पिता स्व० जगदीश ठाकुर, निवास स्थान ग्राम-नयाखाप, टोला मकुन्दगंज, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-नयाखाप, थाना नं०-253, खाता संख्या-32, प्लॉट संख्या-441, रकवा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि सुधीर कुमार पिता स्व० मानकी ठाकुर, निवास स्थान ग्राम-बभनवै, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, खतियान की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.- RCMSON22014408 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-90/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 328/रा० दिनांक 21.01.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 621 दिनांक 20.04.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, चेक स्लीप एवं प्रस्तावित भूमि का ट्रेस नक्शा उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -</p> <p>क्रेता एवं विक्रेता अ०पि०व० के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत बंधन हजाम वगै० हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 5.92 एकड़ है। पंजी-11 के अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 2.845 एकड़ है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-118/1 पर बंधन हजाम वगै० के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2020-21 तक निर्गत् है। आवेदक के दादा के नाम से जमाबंदी दर्ज है। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदकगण घरेलु बँटवारा के अनुसार भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात संयुक्त खाते में रकवा 2.805 एकड़ भूमि बचेगी। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।</p>	

सिमा

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख
1

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
2

आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी तारीख
3

प्रश्नगत भूमि का ड्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को नारंगी रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1.) बालेश्वर ठाकुर एवं (2.) सिकन्दर ठाकुर दोनों के पिता स्व0 जगदीश ठाकुर, निवास स्थान ग्राम-नयाखाप, टोला मकुन्दगंज, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-नयाखाप, थाना नं0-253, खाता संख्या-32, प्लॉट संख्या-441, रकवा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि सुधीर कुमार पिता स्व0 मानकी ठाकुर, निवास स्थान ग्राम-बभनवै, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।
लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्ता, हजारीबाग।

प्रेषक.